

देश में 2013 से अब तक ड्रग ट्रायल से 1335 की मौत

भोपाल (ब्यूरो)।
देश में ड्रग ट्रायल
से 2013 के बाद
1335 लोगों की
मौत हो चुकी है।
इनमें क्षतिपूर्ति महज
50 लोगों को दी गई,
जबकि केंद्र सरकार



ने 2013 से क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया है।
यह खुलासा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया
(डीसीजीआई) की आरटीआई के तहत मिली
जानकारी में हुआ है। इंदौर एक्टिविस्ट गौतम
कोठारी ने यह जानाकारी ली है।

स्वास्थ्य अधिकार मंच से जुड़े हेल्थ
एक्टिविस्ट अमूल्य निधि ने बताया कि 2005 से
2012 तक 2868 मौतें हुई थीं। अब ड्रग ट्रायल
से मरने वालों की संख्या 4203 हो गई है। उन्होंने
बताया कि मप्र में ईओडब्ल्यू ने ड्रग ट्रायल से हुई
33 मौतों में क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा था, लेकिन
पीड़ितों को आज तक सहायता नहीं मिली है।

135 deaths due to
drugs' trials since 2013

clinical trials.